

# आदर्श कोषागार कार्यालय कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

पेंशन की श्रेणी :- सिविल/शिक्षा/अखिल भारतीय सेवा /मिलेट्री/अन्य राज्य/रेलवे /राजनैतिक

फार्म संख्या-8(1)

पेंशन भोगी द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु प्रमाण पत्र  
(अनुच्छेद 17 देखा जाये)

## 1- जीवित होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पेंशन भोगी निम्न विवरण अनुसार  
सेवानिवृत्ति विभाग का नाम.....

- 1- पेंशनर का नाम .....
- 2- पेंशन भुगतान आदेश संख्या.....
- 3- बैंक व शाखा का नाम.....
- 4- बैंक खाता संख्या.....
- 5- आधार कार्ड संख्या.....
- 6- आयकर पैन नं० .....
- 7- टेलीफोन नं०/मोबाइल नं० .....
- 8- निवास का वर्तमान पता.....
- 9- ई-मेल आईडी० .....

को स्वयं देखा है और यह कि वह आज की तारीख में जीवित है।

पेंशनर के हस्ताक्षर

अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर व मुहर

स्थान .....

नाम .....

दिनांक .....

स्थान .....

दिनांक .....

## फार्म संख्या-8(2)

### 2- रोजगार रहित होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र

मैं घोषणा करता /करती हूँ कि मैंने सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करके /बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किये रोजगार/वाणिज्यिक रोजगार स्वीकार किया है/स्वीकार नहीं किया है। (उ०प्र० सेवा के प्रथम श्रेणी के अधिकारी द्वारा सेवानिवृत्ति के प्रथम दो वर्षों में दिया जाना है)

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करके /बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किये भारत सरकार के परिधि के बाहर या किसी भी सरकार के अधीन किसी प्रकार का रोजगार स्वीकार किया है/ स्वीकार नहीं किया है (केवल उत्तर प्रदेश सेवा के प्रथम सेवा के प्रथम श्रेणी के अधिकारी द्वारा दिया जाना है।)

## फार्म संख्या-8(3)

### 3- पुनर्विवाह /अविवाहित होने का प्रमाण पत्र

मैं घोषणा करता /करती हूँ कि मैं विवाहित नहीं हूँ/मैंने पिछले एक वर्ष के अन्दर विवाह नहीं किया है। मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने पुनर्विवाह नहीं किया है तथा ऐसा करने पर मैं कोषाधिकारी को सूचित करूँगा/करूँगी।

स्थान .....

प्रमाण पत्र-8 (2) एवं (3) के लिए

दिनांक .....

हस्ताक्षर .....

पेंशन भोगी का नाम .....

श्री /श्रीमती ..... पुरु/पुत्री/पत्नी/पति..... जो पेंशन पी०पी०ओ० संख्या/बैंक खाता संख्या /पेंशनर डंडेक्स संख्या.....समे जीवित /रोजगार/अविवाहित होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया।

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर